कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक 1176/सा.प्र.वि./2016 रायपुर, दिनांक 22/09/2016

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर के पत्र क्रमांक स्था./एक/वि/700/2015/6913 दिनांक 28.07.2016 के अनुसार नगर निगम, रायपुर हेतु प्रतीक्षा सूची से उप अभियंता (सिविल) के पद पर निम्नानुसार अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती से चयन किया गया है। चयनित उम्मीदवारों को नगर निगम, रायपुर में उनके नाम के सम्मुख एवं दर्शाये गये वेतनमान एवं निगम में प्रचलित महंगाई भत्ते/अन्य प्राप्य भत्तों पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान करते हुये इन्हें निम्नानुसार जोन कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	पता	चयनित संवर्ग	पदनाम	पे बैण्ड एवं ग्रेड पे	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6	7
1	**Rachna Sanghvi**	**Royal Apartments flat no 201 2nd floor, new timber market fafadih, Raipur 492009**	अनारक्षित मुक्त	उप अभियंता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड पे 4200	जोन-2
2	**Ankita Sonversha**	**Dr. Rajendra Nagar, Near Shiv Chowk, Water Tank, Post office Ravigram Raipur 492006**	अनु.जाति मुक्त	उप अभियंता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड पे 4200	जोन-2
3	**Sudhir Bhatt**	**Chhote Attarmuda, T.V. Tower, Raigarh**	अनु.जाति मुक्त	उप अभियंता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड पे 4200	जोन-3
4	**Ruchika Mishra**	**304 Royal Apartments, Raipur**	अनारक्षित मुक्त	उप अभियंता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड पे 4200	जोन-5
5	**Suyash Chopra**	**Chopra Niwas, Near Syndicate Bank, Durg**	अनारक्षित मुक्त	उप अभियंता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड पे 4200	जोन-5
6	**Romali Shende**	**Indira Nagar, Ward No5, Dongargarh**	अनारक्षित मुक्त	उप अभियंता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड पे 4200	जोन-6
7	**Sagar Thakur**	**Station Ward, Infront of Govt. Girls School, Bhatapara**	अनारक्षित मुक्त	उप अभियंता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड पे 4200	जोन-8

नियुक्ति की शर्त :-

1 जिनके द्वारा आटोकैड केम में डिप्लोमा नहीं किया है उन्हें दो वर्ष के भीतर में डिप्लोमा आटोकैड केम में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2 अभ्यर्थी को 2 नग सेवा पुस्तिका, 1500.00 रू का जमानत नामा एवं अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी छायाप्रति की दो-दो प्रति राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा अभिप्रमाणित करवाकर साथ लेकर आयेंगे, मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के पश्चात ही उपस्थिति मान्य की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत तत्काल वापस कर दिये जायेंगें।

3 उम्मीदवार को उपस्थिति के समय कार्यालय से प्राप्त शपथ पत्र (नोटराईट कराकर) प्रस्तुत करना होगा।

4 अनारक्षित उम्मीदवारों को छोड़कर शेष सभी वर्ग के उम्मीदवार अपना जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. से 3 माह के भीतर सत्यापन करवाकर सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें।

5 अभ्यर्थी को दो वर्ष की परीविक्षा अवधि पर नियुक्त किया जा रहा है उक्त अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही सेवा में नियमित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

6 यदि अभ्यर्थी सेवा में आने के पश्चात् सेवा छोड़ना चाहता है तो एक माह पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी अथवा एक माह का वेतन और उस पर देय सभी भत्ते कार्यालय में जमा करना होगा।

7 उनकी सेवा की अन्य शर्तें संबंधित नियम तथा समय-समय पर लागू हुए छ.ग.शासन के आदेशों के अनुसार नियंत्रित होंगें।

8 अभ्यर्थी बिना पूर्व अनुमति के अग्रिम शिक्षा अथवा किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

9 कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बगैर वे अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगें।

10 अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण-पत्र आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि वे नौकरी हेतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण उपयुक्त नहीं पाये जाते है तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

11 चरित्रावली के संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षक का संतोषप्रद प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही सेवायें जारी रहेगी।

12 नियुक्ति आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

13 अभ्यर्थी के किसी भी प्रमाण पत्र के असत्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख को होगा।

14 छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 13-15/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 04.01.2014 में दिये गये निर्देश अनुसार उक्त नियुक्तियां मान.न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी.) क्र. 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

15 नियुक्ति मे आरक्षण का पूर्णतः ध्यान रखा गया है।

16 उम्मीदवार, सामान्य प्रशासन विभाग में अपनी उपस्थिति देंगें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर

पृ.क्रमांक ..../सा.प्र.वि./2016 रायपुर, दिनांक ...../09/2016

प्रतिलिपि :-

1/ माननीय महापौर/सभापति, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ।

2/ भारसाधक सदस्य/नेता प्रतिपक्ष/जोन अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, रायपुर।

3/ विशेष सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

4/ संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर।

5/ संयुक्त संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर।

6/ संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

7/ अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर।

8/ उपायुक्त, सा.प्र./वित्त/राजस्व/बाजार-नजूल, नगर पालिक निगम, रायपुर।

9/ अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, रायपुर।

10/ समस्त जोन आयुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष, नगर पालिक निगम, रायपुर।

11/ स्टेनो (आयुक्त कार्यालय), नगर पालिक निगम, रायपुर।

12/ अधीक्षक, सा.प्र.वि., नगर पालिक निगम, रायपुर।

13/ संबंधित स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, रायपुर।

14/ श्री राधेश्याम एक्का, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, रायपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

15/ संबंधित को नाम से ....पालनार्थ।

16/ गार्ड फाईल में चस्पा हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर